अधिसूचना संख्या 200/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1987(ई), **दिनांक 20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ 627(ई) दिनांक 12.03.2013 द्वारा, केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 18 पर, "महिला सेवा समिति", 5/1, रेड क्रॉस प्लेस, कोलकाता - 700 062, पश्चिम बंगाल" द्वारा "महिला सेवा समिति" को, वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड *(ख)* के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इसके द्वारा, "महिला सेवा समिति" योजना या परियोजना को, जो "महिला सेवा समिति, 5/1, रेड क्रॉस प्लेस, कोलकाता - 700062, पश्चिम बंगाल" द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, कोष निधि के रूप में 3.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए, यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए अधिसूचित करती है।

■■